

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 18, मंगलवार, शाके 1938-फरवरी 7, 2017 <i>Magha 18, Tuesday, Saka 1938-February 7, 2017</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग**  
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 2, 2017

एस.ओ.133 :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) सपटित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2)चिकि. एवं स्वा./गुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01-07-2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये" के स्थान पर "शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" प्रतिस्थापित किया जावेगा।

[संख्या प. 23 (2) चिस्वा/गुप-3/2003 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

अजय असवाल,

संयुक्त शासन सचिव।